

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2020—वैशाख 4, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2020 (चैत्र 4, 1942)

क्र. 4935-मप्रविस-15-विधान-2020.—मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

“सुश्री हिना लिखीराम कावरे, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2020 को मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त तिथि से उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.